


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दूरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खाण्डा खोबरी एवं भू.अ.नि. खेरवाडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खेरवाडा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम निचला फला पटवार हल्का खाण्डा खोबरी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् २०७५-७८ में खाता संख्या ५०,५१,१२७,२३६ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश किये जाते हैं।


| क्र स | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | <u>निचला फला</u> | <u>५० ५१ १२७ २३६</u> | <u>गुला पुत्र दाना</u> | <u>गाल पुत्र दाना</u> |


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 दिनांक : ५-१०-१९

क्रमांक / 2019 / 31

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी को सूचनार्थ।
3. रचित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर